न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 26/2016 दायरा दिनांक : 08.01.2016

उनवान

माना लाल आयु 40 साल वल्द नाथू, जाति बागरी, निवासी कुमठिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– गोरधन वल्द गिरवर, जाति बागरी, निवासी कूमठिया, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

2– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील गंगधार, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री बी एल माहेश्वरी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक : 11.12.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, गंगधार के प्रकरण संख्या – /दावा/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 27.04.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विवादित आराजी अपीलांट तथा उसके पिता के वास्तविक कब्जे काश्त में जायज तीस

सालों से चली आ रही है किन्तु रेस्पोंडेंट गोरधन ने मातहत न्यायालय में राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार गंगधार के न्यायालय में आराजी खसरा नम्बर 1223 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम कूमठिया को अपने खाते घोषित कराने बाबत पेश किया जिसमें रेस्पोडेंट नं. 2 ने इंकारी वाद पत्र पेश किया एवं कथन किया कि वादी को वादग्रस्त आराजी को गैरखातेदारी से खातेदारी में दर्ज कराने के लिए आवंटन नियमों का रेकार्ड पेश करना चाहिए था जिसके अभाव में वादी को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं । यदि वादी आवंटन नियमों का रेकार्ड प्रस्तुत करता तो तहसीलदार गंगधार ही अपने स्तर पर खातेदारी अधिकार उसे प्रदान कर सकते हैं । रेकार्ड प्रस्तुत नहीं करने से वादी का वाद चलने योग्य नहीं है । वादी को दिनांक 15.10.1955 से पहले का रेकार्ड प्रस्तुत करना चाहिए था । रेकार्ड में भूमि की किस्म गैरमुमकिन बर्डी दर्ज है गैरमुमकिन भूमि पर खातेदारी अधिकार दिये जाने का प्रावधान नहीं है एवं गैरमुमकिन भूमि को आवंटन करने का प्रावधान नहीं है जिस कारण वादी का वाद खारिज फरमाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना रेस्पोडेंट नम्बर 1 की साक्ष्य रेकार्ड किये विधि विरूद्ध रेस्पोडेंट नम्बर 1 को आराजी खसरा नम्बर 1223 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम कूमठिया, तहसील गंगधार का खातेदार टीनेन्ट दिनांक 27.04.2015 को घोषित कर दिया एवं उसी दिन डिक्री जारी कर दी । उक्त निर्णय के खिलाफ रेस्पोडेंट नम्बर 2 को जो लैण्ड होल्डर है न्यायालय में अपील पेश करना चाहिए था किन्तु उन्होंने कोई अपील नहीं की एवं रेस्पोडेंट नम्बर 1 तथा उसकी बहन गंगाबाई ने दिनांक 03.09.2015 को खसरा नम्बर 1223 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा बिल एवज 3,00,000/– रूपये में बगदीराम पिता जुझार, जाति बागरी, निवासी कूमठिया को बेच दी । जिसके बाद खरीददार उक्त आराजी पर कब्जा करने आया तब अपीलांट ने उसको कहा कि वादग्रस्त आराजी पर लगभग 30 सालों से हमारे कब्जे काश्त में चली आ रही है, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है । अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि

विरूद्ध है । रेस्पोडेंट नम्बर 1 की कोई साक्ष्य रेकार्ड में नहीं की गई और ना ही कोई दस्तावेजात प्रदर्शित कराये गये हैं, जिस कारण निर्णय कानून सम्मत निर्णय की तारीफ में नहीं आता है । हाल खसरा नम्बर 1223 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा साबिक खसरा नम्बर 933 का बना है जबकि साबिक खसरा नम्बर 233 सिवाय चक बखाता सरकार दर्ज हे एवं सैटलमेंट ने बिना किसी आवंटन आदेश के गलततौर से रेस्पोडेंट नम्बर 1 को गैरखातेदारी का पट्टा दे दिया, नकल जमाबंदी सम्वत 2030–49 में भी खसरा नम्बर 1223 को गैरमुमकिन बर्डी लिखा गया है जिस कारण रेस्पोडेंट नम्बर 1 को कानून के खिलाफ अधीनस्थ न्यायालय ने खातेदार टीनेन्ट घोषित किया है, जमाबंदी ग्राम कूमठिया, तहसील गंगधार सम्वत 2021–24 में राजकीय भूमि का इन्द्राज है जिसमें खसरा नम्बर 933 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा दर्ज है जिसका ही हाल खसरा नम्बर 1223 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा बना है । सरकार के खाते की भूमि को सैटलमेंट को कोई अधिकार गैरखातेदारी में देने का नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय मनमाना है, परवर्स है केप्रिसियस है एवं अपास्त होने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.04.2015 अपास्त किया जावे एवं वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1223 रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम कूमठिया तहसील गंगधार को सरकार के खाते दर्ज की जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 19.08.2015 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अपील के तथ्य सारहीन है तथा विधि मान्य सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.04.2015 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा